राष्ट्रीय कृषि विकास योजना

कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के अधिक समग्र एवं समेकित विकास को सुनिश्चित करने के लिए कृषि जलवायुवीय, प्राकृतिक संसाधन और प्रौद्योगिकी को ध्यान में रखते हुए गहन कृषि विकास करने के लिए राज्यों को बढ़ावा देने हेतु एक विशेष अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) योजना के लिए इस योजना की शुरूआत वर्ष 2007-08 से की गई। कृषि का सर्वांगीण विकास करना ही इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इसके तीन घटक- उत्पादन में वृद्धि, आधारभूत संरचना एवं परिसम्पत्ति का विकास तथा फलेक्सी फंड है। वर्ष 2007-08 से 2014-15 तक 100 प्रतिशत राशि अनुदान के रूप में मिलता था, परन्तु वर्ष 2015-16 से यह फंडिंग पैटर्न बदलकर 60:40 केन्द्रांश एवं राज्यांश के अनुपात में किया गया है।